**जिला–मधुबनी** **दिनांक–22.04.2026**

**न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, झंझारपुर, मधुबनी**
**सत्र वाद संख्या : 366 / 2010**
**साधारण पंजी वाद संख्या–804 / 2002**
**घोघरडीहा थाना कांड सं0–141 / 2002**

सरकार (द्वारा दफादार नथुनी कामत पिता–स्व0 भोला कामत, सूचक)
साकिन–सहोरवा, थाना–घोघरडीहा, जिला–मधुबनी

..... अभियोजन

**बनाम**

01. हरिलाल सिंह पिता–भगवान लाल साह (उम्र लगभग–65 वर्ष),
02. कुशेश्वर साह पिता–चन्द्ररिका प्रसाद साह (उम्र लगभग–60 वर्ष),
03. तारकेश्वर प्रसाद साह पिता–चन्द्ररिका प्रसाद साह (उम्र लगभग–60 वर्ष),
04. सीताराम सिंह पिता–स्व0 सिहेश्वर सिंह (उम्र लगभग–71 वर्ष),
05. अजय कुमार सिंह पिता–श्रीराम नारायण सिंह (उम्र लगभग–55 वर्ष),

साकिनान–मैनही, थाना–घोघरडीहा, जिला–मधुबनी

..... अभियुक्तगण

**अपराध की तिथि**:–31.08.2002
**प्राथमिकी की तिथि**:–01.09.2002
**आरोप पत्र की तिथि**:–30.06.2002
**संज्ञान की तिथि**:–03.12.2005
**दौरा सुपुदर्गी की तिथि**:–15.06.2010
**आरोप गठन की तिथि**:–20.09.2018
**साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि**:–13.12.2018
**निर्णय पर नियत करने की तिथि**:–18.04.2026
**निर्णय की तिथि**:–22.04.2026
**सजा देने की तिथि, यदि कोई हो** :–

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री देवशंकर झा (सहायक लोक अभियोजक)
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री लक्ष्मीकांत सिंह

**निर्णय तिथि–22.04.2026**

उपस्थित : अनिल कुमार राम,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय,
झंझारपुर, मधुबनी

**नि र्ण य**

**01.** प्रस्तुत थाना कांड के उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण 01. हरिलाल साह, 02. कुशेश्वर साह, 03. तारकेश्वर साह, 04. सीताराम सिंह, 05. अजय सिंह का भा0द0वि0 की धारा–147, 148, 149, 323, 324, 307, 353 एवं जुआ अधिनियम की धारा–11 के अंतर्गत विचारण किया गया है।

**02.** अभियोजन कहानी का अंतर्सार, सूचक दफादार नथुनी कामत के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 31.08.2002 के करीब ग्यारह बजे रात्री में सूचक सहित अन्य चौकीदारो का मैनही गांव में मेला में विधि व्यवस्था में डियूटी था। मेला से उत्तर–पश्चिम कोना पर स्कुल के बगल में सियाराम सिंह, सीताराम सिंह, हरिलाल साह, अजय सिंह, तारकेश्वर साह, कुशेश्वर साह ये सभी जुआ खेल और खेला रहे थे। सूचक ने जुआ खेलने से मना किया और छः गोटी ले लिये तो उपरोक्त सभी लोग दौड़कर अपने–अपने घर चले गये और कुछ समय बाद सभी हथियार से लैस होकर आये और चारो ओर से घेर लिये और सियाराम सिंह बोला कि साले लोगों को जान से मारकर खत्म कर दो। इस आदेश पर सीताराम सिंह, हरिलाल साह, तारकेश्वर साह, कुशेश्वर साह एवं अन्य 8–10 आदमी लाठी–डंडा से सूचक एवं समसेर को ताबड़ तोड़ मारने लगे। जिससे दोनो बुरी तरह जख्मी हो गये। सियाराम सिंह श्री नट्टा ताने हुए बोला कि अगर कोई आया तो उसे भी जान से मार कर खत्म कर देगें। फिर अन्य चौकीदार जो साथ डियूटी में थे एवं अन्य अगल–बगल लोग आये जो मेला देखने आये थे, हस्तक्षेप किये जिससे दोनो लोग अधिक मार खाने बचे।

**03.** सूचक के उक्त लिखित आवेदन के आधार पर थाना घोघरडीहा में भा0द0वि0 की धारा–147/148/149/323/324/307/353 एवं जुआ अधिनियम की धारा–11 के अंतर्गत थाना कांड संख्या–141/2002 दिनांकित–01.09.2002 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचनोंपरांत, विवेचक ने घटना को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–147/148/323/324/307/353 एवं जुआ अधिनियम की धारा–11 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–24/2003 दिनांक 30.06.2002 को न्यायालय में समर्पित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपपत्रित अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया।

**04.** अभियुक्तगण की उपस्थिति के पश्चात् एवं पुलिस कागजात की आपूर्ति के पश्चात् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर सत्र न्यायालय को विचारण हेतु दौरा सुपुर्द किया गया।

**05.** अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–147, 148, 149, 323, 324, 307, 353 एवं जुआ अधिनियम की धारा–11 के अंतर्गत दिनांक–20.09.2018 को दंडनीय अपराध के लिए आरोप का गठन किया गया तथा उसकी विशिष्टयां अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

**06.** निर्दोषिता तथा मिथ्या आरोप ही प्रतिरक्षा पक्ष का बचाव है। धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में अभियुक्तगण ने आरोपित आरोपों से इंकार किया है तथा अपने को निर्दोष बताया है।

**07.** अब इस वाद में विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है ?

## <u>मंतव्य</u>

**08.** अभियोजन पक्ष द्वारा अपने आरोपों के समर्थन में कुल 03 मौखिक साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जो निम्नलिखित हैं :–

**अभियोजन साक्षी सं0–01** महावीर सिंह,

**अभियोजन साक्षी सं0–02** रामगुलाम सिंह,
**अभियोजन साक्षी सं0–03** मो0 शमशेर आलम,

उक्त साक्ष्य के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुछ भी साबित नहीं करवाया गया है।

**09.** बचाव पक्ष द्वारा किसी भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**10.** इस आपराधिक वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–147, 148, 149, 323, 324, 307, 353 एवं जुआ अधिनियम की धारा–11 के अंतर्गत विरचित किया गया है। विरचित आरोप के बिन्दु पर इस तथाकथित घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में 03 मौखिक साक्षी को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुछ भी साबित नहीं करवाया गया है।

**11.** लिखित आवेदन के अनुसार, दिनांक 31.08.2002 के करीब ग्यारह बजे रात्री में सूचक सहित अन्य चौकीदारो का मैनही गांव में मेला में विधि व्यवस्था में डियूटी था। मेला से उत्तर–पश्चिम कोना पर स्कुल के बगल में सियाराम सिंह, सीताराम सिंह, हरिलाल साह, अजय सिंह, तारकेश्वर साह, कुशेश्वर साह ये सभी जुआ खेल और खेला रहे थे। सूचक ने जुआ खेलने से मना किया और छः गोटी ले लिये तो उपरोक्त सभी लोग दौड़कर अपने–अपने घर चले गये और कुछ समय बाद सभी हथियार से लैस होकर आये और चारो ओर से घेर लिये और सियाराम सिंह बोला कि साले लोगों को जान से मारकर खत्म कर दो। इस आदेश पर सीताराम सिंह, हरिलाल साह, तारकेश्वर साह, कुशेश्वर साह एवं अन्य 8–10 आदमी लाठी–डंडा से सूचक एवं समसेर को ताबड़ तोड़ मारने लगे। जिससे दोनो बुरी तरह जख्मी हो गये। सियाराम सिंह थ्री नट्टा ताने हुए बोला कि अगर कोई आया तो उसे भी जान से मार कर खत्म कर देगें। फिर अन्य चौकीदार जो साथ डियूटी में थे एवं अन्य अगल–बगल लोग आये जो मेला देखने आये थे, हस्तक्षेप किये जिससे दोनो लोग अधिक मार खाने बचे।

**12.** उक्त बिन्दु पर अभियोजन द्वारा मो0 शमशेर आलम को अभियोजन साक्षी संख्या–03 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अंशतः समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि वह 1997 ई0 में चौकीदार में नियुक्त हुआ था। वह मेला में रात में साढ़े दस बजे से लेकर चार बजे भोर तक रहा। मेला में अंधरा था। अंधेरे में सभी आदमी को नहीं पहचाने। जप्तीसूची में हस्ताक्षर किये वह कागज उजला था। घटनास्थल का चौहदी नहीं लिखा सकते है। मैनही गांव से उसका गांव दूर है। मैनही गांव के किसी आदमी को वह नहीं पहचानता है। अभियोजन साक्षी संख्या–01 एवं 02 को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा इन्होंने ऐसी कोई घटना घटित होने से इंकार करते हुए पक्षद्रोही हो गये हैं तथा अभियोजन द्वारा उनका प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमें भी उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन को पर्याप्त समय, चेतावनी तथा न्यायालय द्वारा प्रक्रिया निर्गत करने के बाद भी अभियोजन द्वारा सूचक, चिकित्सक, विवेचक सहित अन्य किसी महत्वपूर्ण साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा परीक्षित साक्षी ने अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है।

**13.** इस तरह अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी के मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण एवं लिखित आवेदन में वर्णित तथ्यों में परस्पर भारी विरोधाभास है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–147, 148, 149, 323, 324, 307, 353 एवं जुआ अधिनियम की धारा–11 के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं की गयी है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष, मुदालहगण के विरूद्ध आरोपित धाराओं को संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है तथा इसका लाभ बचावपक्ष को न्यायहित में दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

**14.** उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं वाद की परिस्थितियों के विवेचनोंपरांत इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–147, 148, 149, 323, 324, 307, 353 एवं जुआ अधिनियम की धारा–11 के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं।

## आ दे श

**15.** अभियुक्तगण **01. हरिलाल सिंह** पिता–भगवान लाल साह, **02. कुशेश्वर साह** पिता–चन्द्ररिका प्रसाद साह, **03. तारकेश्वर प्रसाद साह** पिता–चन्द्ररिका प्रसाद साह, **04. सीताराम सिंह** पिता–स्व0 सिहेश्वर सिंह एवं **05. अजय कुमार सिंह** पिता–श्रीराम नारायण सिंह, साकिनान–मैनही, थाना–घोघरडीहा, जिला–मधुबनी का भा0द0वि0 की धारा–147, 148, 149, 323, 324, 307, 353 एवं जुआ अधिनियम की धारा–11 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर रिहा किया जाता है तथा उनके जमानतदार अपने जमानत दायित्वों से मुक्त किये जाते हैं। कार्यालय, निर्णय की प्रति धारा 365 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी, मधुबनी को यथाशीघ्र प्रेषित करें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागारित करें।

**यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया।**

**(लेखापित एवं शुद्धिकृत)** **लेखापित**

**(अनिल कुमार राम)**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
झंझारपुर,मधुबनी
22.04.2026

**(अनिल कुमार राम)**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय
झंझारपुर,मधुबनी
22.04.2026